

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत

हस्ताक्षर
शिबि प्रभारी

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम वांकरवे जमाबंदी सं 2073-76 के खाता सं 255 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाता सं.	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		255	वजेसिंह पुत्र नगजी दि. 7/30 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	वजेसिंह पुत्र नगजी दि. 7/30 जाति राजपूत सा. देह खातेदार

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. वजु पुत्र वाला जाति मेहर नि. वांकरवे
2. देवीसिंह नि. किरानलाल जाति वांकरवे नि. वांकरवे
3.
4.

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
पटवारी

रिपोर्ट पटवारी
वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम वांकरवे के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदनुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक

हस्ताक्षर पटवारी
प०म० देवराज

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

भूअभिलेख निरीक्षक
भूअभिलेख निरीक्षक

रिपोर्ट तहसीलदार/पैरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक :

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम वांसवेडी के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसीलदार (पू.अ.)
पिडावा जि. झालावाड

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज०

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 289

दिनांक : 26/9/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम वांसवेडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिडावा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



पिडावा
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जि. झालावाड राज०
जिला झालावाड राज०